जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 188वीं बैठक दिनांक 11.01.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. जी.एल. शर्मा, उप निरीक्षक जनरल पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी,वरिष्ठ नगर नियोजक (I), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्रीमती साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक,(II) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री प्रेम शंकर जी वरिष्ठ नगर नियोजक,(III) जविप्रा, जयपुर।
3. गुन्जन सोनी, उपायुक्त, जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
4. दिनेश पंवार, उपायुक्त, जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
5. ओ.पी. शर्मा, उप नगर नियोजक जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
6. मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

एजेण्डा संख्या :–1

188 / 11.01.2013

विषयः– बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक कमांक 187वीं दिनांक 12.12.12 व को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् कार्यवाही विवरणों की पुष्ठि की गई।

एजेण्डा संख्या :–2

188 / 11.01.2013 ऐ.सी.टी.पी (एम.पी)

विषयः– रोड सेक्टर प्लान 68 के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) में उपस्थित नहीं थे इसलिए प्रकरण को स्थगित रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :–3

188 / 11.01.2013 (जोन–4)

विषयः– न्यू पिंकसिटी गृ.नि.स. समिति की योजना सिद्धार्थ नगर–सी ब्लॉक को अनुमोदन / नियमन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि निम्न शर्तो के साथ अनुमोदन करने का निर्णय लिया जावें।

1. जिन भूखण्डों मे निर्धारित सैटबैक छोडने के पश्चात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित रखा जावे।
2. 200 फीट व 80 फीट सेक्टर रोड में प्रभावित भूखण्डों में नियमानुसार राईट आफ वे की भूमि लिए जाकर नियमन किया जावे।
3. 100फीट सेक्टर रोड को सेक्टर प्लान के अनुसार यथावत रखते हुए प्रभावित भूखण्डों को गैर अनुमोदित किया जावे।
4. मास्टर विकास योजना 2025 के प्रस्तावित व्यावसायिक क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले भूखण्डों को गैर अनुमोदित किया जावें।
5. मौके पर भूखण्ड सं. 137 से 139 की भौतिक स्थिति जो पी.टी सर्वे में आ रही है तथा पुराने नक्शें में जो उक्त भूखण्ड दर्शित है उनकी मौका स्थिति में भिन्नता है यानि कि भूखण्ड सं. 137 जिसके पुराने नं. 41ए थे सोसायटी के नक्शें में इस भूखण्ड के दक्षिण की तरफ 30 फीट सडक दर्शित है जो मौके पर उपलब्ध नहीं है तथा उक्त सडक के भू–भाग पर अन्य किसी का कब्जा है तथा मौके पर वर्तमान 137 नम्बर भूखण्ड को शिकायतकर्ता श्री युगज किशोर शर्मा के पुत्र ने तस्दीक करते हुए दिखाया वह पूर्वमुखी है तथा शिकायतकर्ता जो रास्ता अपने कब्जे के भूखण्ड के सामने पूर्व की तरफ चाहता है वह भूखण्ड संख्या 101 से गुजरता है। अतः मौका स्थिति एवं रिकार्ड (सोसायटी का नक्शा) में भिन्नता होने तथा मौके पर कब्जे होने के कारण भूखण्ड संख्या 101, 142, 137, 138, 139 व 94 प्रभावित होते है। इसलिए इन भूखण्डों को गैर अनुमोदित किए जावें।
6. जविप्रा / राजकीय भूमि का अधिकांश भू–भाग अनुमोदित की जाने वाली योजना के सेक्टर रोड का भू-भाग है तथा भूखण्ड सं. 456सी, 452ए व 452 तथा भूखण्ड सं. 84, 83बी, 85बी, 86बी व 82 का भाग है। भूखण्ड सं. 456सी, 452ए, 452 तथा भूखण्ड सं. 84, 83बी, 85बी, 86बी व 82 को भी गैर अनुमोदित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या :–4

188 / 11.01.2013 (जोन 7)

विषयः– गायत्री नगर के अनुमोदित मानचित्र में दर्शित स्कूल के स्थान पर आवासीय भूखण्ड संख्या 14ए का पट्टा दिए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि पूर्व में भूखण्ड में स्कूल संचालित था, इसलिए इसे सुविधा क्षेत्र में दर्शाया गया था। एजेण्डा में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर मौके पर वर्तमान में इसका उपयोग आवासीय हो रहा है इसलिए योजना के भूखण्ड संख्या 14ए को आवासीय भूखण्ड दर्शाये जाकर नियमन किया जावें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमती से निम्न अतिरिक्त एजेंण्डो पर भी विचार किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–1

188 / 11.01.2013 (जोन–19)

विषयः– पृथ्वीराज नगर दक्षिण सेक्टर 19 विकसित 30 फीट सडक से प्रस्तावित 80 फीट चौडी सडक के समायोजित किए जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि बैठक में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) में उपस्थित नहीं थे इसलिए प्रकरण को स्थगित रखा जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–2

188 / 11.01.2013 (जोन–11)

विषयः– सोसायटी फोर वेलफेयर अवेरनेस रिसर्च गाइडेन्स की भूमि एवं जयपुर विकास प्राधिकरण का फार्म हाउस योजना से गुजर रही सेक्टर रोड की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के दोरान अवगत कराया की सेक्टर 51, 52, 53 में इस स्थान पर फार्म हाउस हेतु प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड निलामी में विक्रय किए गये थे। मौके की स्थिति के अनुसार इन सेक्टरो की रोड इन फार्म हाउस के मध्य में से गुजरती है, जिससे फार्म हाउस के निलामी में विक्रय किए गये भूखण्ड प्रभावित हो रहे है।

इन फार्म हाउस के भूखण्डों को यथावत रखते हुए सेक्टर रोड को फार्म हाउस के बाहर दर्शाते हुए सेक्टर रोड में संशोधित कर नये प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत किया गया।

अतः एजेण्डा के साथ संलग्न संशोधित प्रस्ताव के सम्बन्ध में आम जनता से आपत्ति सुझाव मांगें जावें जिससे संशोधित प्रस्ताव को अन्तिम रूप से निर्णित किया जा सकें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–3

188 / 11.01.2013 (जोन–14)

विषयः– अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना पवन वाटिका के भूखण्ड संख्या 5बी एवं 5सी का नियमितिकरण किए जाने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भूखण्ड 55, 56, 28, 29, 26बी, 26सी भूखण्डों के उपर से हाइटेन्शन लाइन हट गयी है।

पूर्व में बी.पी.सी.एल.पी की बैठक क्रमांक 112 में भूखण्ड संख्या 26ए, 26बी, 26सी, में से एच.टी. लाईन हटने के कारण इन भूखण्डों के सामने 30 फीट सडक रखते हुए इन भूखण्डों को स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः पूर्व में अनुमोदित योजना मानचित्र में दर्शित भूखण्ड संख्या 5बी, 5सी (गैर अनुमोदित) को भी एच.टी लाइन हटने के कारण उपरोक्तानुसार भूखण्डों के सामने 30 फीट रखते हुए स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया ।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–4

188 / 11.01.2013 (जोन–10)

विषयः– शान्ति नगर गृ.नि.स.स. की योजना लक्ष्मी नगर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि योजना का केम्प 26.1.2013 को निर्धारित था इसलिए आयुक्त महोदय से योजना अनुमोदन के संबंध में पत्रावली पर स्वीकृति ली जाकर केम्प आयोजित कर पट्टे जारी कर दिए है।

अतः योजना को पोस्ट फेक्टो स्वीकृति दिये जाने के कारण योजना को मौके की स्थिति के अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राज्य सरकार के आदेश के अनुसार योजना को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत सडक की चौडाई मौके पर जितनी उपलब्ध है उतनी ही सडक की चौडाई निर्धारित

की जाकर शेष आवासीय क्षेत्र को 72.83 प्रतिशत स्वीकृत किए जाने का भी निर्णय लिया गया। खसरा सीमा से बाहर के क्षेत्र को स्वीकृत नहीं किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–5

188 / 11.01.2013 (जोन–10)

विषयः– जय गणेश गृ.नि.स.स. की योजना गणेश नगर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि योजना में अधिकतर सडकों की चौडाई 8 फीट है तथा योजना में 100 व.मी. से कम क्षेत्र के भूखण्ड मौके पर है अतः समिति ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि सडकों की चौडाई 10 फीट से कम है तथा 100 वर्गगज से कम क्षेत्र के अधिकतर भूखण्ड होने के कारण प्रकरण में पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–6
188 / 11.01.2013 (जोन–14)

विषयः– मैसर्स श्रीराम हाईटेक टाउनशिप प्रा.लि. निदेशक श्री अशोक अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल अग्रवाल, द्वारा ग्राम वाटिका तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 890, ,खसरा नम्बर 892 ख.न. 893, ख.न. 894, ख.न. 895 कुल किता 6 कुल रकबा 14.29 हैक्टर भूमि पर आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) हेतु मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि एकल पट्टा को निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

1. पब्लिक यूटिलिटी क्षेत्र जो 48 मीटर रोड पर प्रस्तावित किया गया है उसे विधिवत समर्पित करवाया जावे जिसका उपायुक्त जोन द्वारा कब्जा प्राप्त कर बाउन्ड्रीवाल मौके पर निर्मित करवाया जावें।
2. राज्य सरकार से प्रस्तावित एकल पट्टे की स्वीकृति ली जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–7
188 / 11.01.2013 (जोन–12)

विषयः– निजी खातेदार की मंगलम बालाजी सिटी योजना ग्राम बिन्दायका तहसील व जिला जयपुर के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तो के पश्चात् योजना अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

1. प्रस्तावित भूखण्डों के उपर से गुजर रहीं एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का एकल पट्टा लाईन हटने के पश्चात् जारी किया जावें।

2. योजना में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के कुल क्षेत्रफल 1308.00 व.ग. भूमि का 60 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर क्षेत्र प्रार्थी से 100 फीट चौडी सडक पर नियमानुसार प्रस्तावित करवाया जावें, जिसका विधिवत कब्जा जोन द्वारा प्राप्त किया जावें।

3. योजना में ई.डब्लू.एस/एल.आई.जी का क्षेत्र 5 प्रतिशत से कम है जिसे नियमानुसार 5 प्रतिशत रखते हुए योजना मानचित्र में संशोधन करवाया जावें।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–8</u>
188/11.01.2013(जोन– 1)

विषयः– ज्योति जगजीवन नगर गृ.नि.स.स.लि. की योजना कल्याण कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर जयपुर के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 1 से 6, 18 एवं 19 का आवासीय से व्यावसायिक रूपान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् भू.सं. 1 से 6 व 18 से 19 को मास्टर विकास योजना 2025 की गाइड लाइन के अनुसार व्यवसागिक रूपान्तरण किए जाने का निर्णय लिया गया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा संख्या :–9</u>
188/11.01.2013 (जोन–11)

विषयः– बी.पी.आई.पी प्रा.लि. ग्राम दहमीकला सांगानेर की भूमि में औद्योगिक योजना अनुमोदन के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि पीछे प्रस्तावित पार्क में से प्रस्तावित सडक को समीपवर्ती क्षेत्र के लिए हेतु प्रस्तावित करवाये जाकर प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना को अनुमोदित किया जावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

22/1/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2013/डी–030
दिनांकः–22/1/13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

22/1/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।